<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002582011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-624/2011</u> संस्थापित दिनांक-27.12.11

\ \ \	
मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—गोपाल पुत्र शिवर	राज पाल आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम
थूवोन, चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:— श्री पठान अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 26.10.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 34 आवकारी अधिनियम के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी केदार शर्मा ने दिनांक 19.12.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 19.12.11 को दौराने करवा भ्रमण मुखविर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति झोले में शराव लेकर बेचने के लिए थूवोन मोटरसाइकिल से आ रहा है। हमराह सैनिक के साथ बताये गये स्थान पर पहुचने पर एक लडका सफेद झोला लिये मिला मौके पर साक्षीगण के समक्ष पूछताछ करने पर उस व्यक्ति का झोला देख गया तो उसमे देशी मदिरा होना पाया गया जो अवैध थी। आरोपी का उक्त कृत्य आवकार अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत पाया गया तथा थाना वापसी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्मांक 477/2011 के अंतर्गत भादिव की धारा 34 आवकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 34 आवकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी दिनांक 19.12.2011 को समय 17:15 बजे गोपाल के मकान के सामने ग्राम थूबोन में आपने अपने आधिपत्य में बिना किसी विधिक अनुज्ञप्ति के देशी लाल मिदरा के 19 क्वीटर रखे ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 केदार शर्मा अ.सा.2 वलराम, अ.सा.3 जयपाल एवं अ.सा.4 संजय सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 केदार शर्मा ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को वह दरोगाजी के साथ गया था तथा आरोपी के पास से 19 क्वार्टर शराब मिली थी जिसे प्र0पी01 के अनुसार जप्त किया था। तथा आरोप को प्र0पी02 के अनुसार गिरप्तार किया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से शराब रखने का कोई दस्तावेज नहीं मिला था तथा असल कायमी प्र0पी03 की थी जिसक ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा.3 जयपाल ने अपने कथन मे बताया है कि घटना दिनांक को उसे मुखविर से सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति झोले में अवैध रूप से शराब लेकर वेच रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी सफेद रंग का झोला लिये था जिसमे देशी मदिरा थी जिसे रखने का कोई लायसेंस नहीं था। उक्त साक्षी के अनुसार प्र0पी01 के अनुसार देशी मदिरा जप्त की थी तथा आरोपी को प्र0पी02 के अनुसार गिरप्तार किया था। अ.सा.3 के अनुसार उसके द्वारा प्र0पी05 के अनुसार रिपोर्ट लेखवद्ध की गई थी तथा वापसी पर सान्हा प्र0पी06 लेखवद्ध किया गया था। अ.सा.3 के अनुसार उसने प्रकरण में साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे।

08— अ.सा.2 वलराम पक्षद्रोही हो गया है तथा उक्त साक्षी के अनुसार उसे घ । त्या की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी को गिरप्तार किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी से मदिरा जप्त की गई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी04 देने से इंकार किया है। अ.सा.4 संजय वर्मा द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा द्रव्य की जांच की जाना बताया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार जप्तशुदा द्रव्य की जांच रिपोर्ट प्र0पी07 है जिसके अनुसार जप्तशुदा द्रव्य शराब होना पाया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार जप्तशुदा द्रव्य देशी प्लेन मदिरा होना पाया गया था।

09— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में जप्तशुदा द्रव्य देशी प्लेन मदिरा है। उक्त तथ्य प्र0पी07 की रिपार्ट से प्रमाणित हो रहा है। प्रकरण में घटना का साक्षी अ.सा.2 पक्षद्रोही हो गया है। इसके अतिरिक्त मामले के विवेचक अ.सा.3 की साक्ष्य की अनुसर्मथन अ.सा.1 की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा.3 ने वापसी सान्हा प्र0पी06 को प्रमाणित किया है। प्र0पी06 के दस्तावेज से यह प्रमाणित हो रहा है कि घटना दिनांक को अ.सा.3 मुखविर की सूचना के आधार पर रवाना हुआ था तथा आरोपी के पास से देशी प्लेन मदिरा जप्त की थी। अ.सा.3 की साक्ष्य का अनुसर्मथन अ.सा.1 की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा.1 ने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को वह मौके पर पहुचा था तथा आरोपी के पास से देशी प्लेन मदिरा जप्त की थी। इस प्रकार अ.सा.1 एवं 03 की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रकरण में झूंठी कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा मामले में झूंठी कार्यवाही की गई है।

- 10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपी को धारा 34 आवकारी अधिनियम के आरोप से सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 11— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण समन विचारणीय है। अतः आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है।
- 12— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा अवैध मंदिरा रखी जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने

पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 34 आवकारी अधिनियम के अपराध में 1000 / — रूपये के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगा।

13- आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे अपील होने के दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

15— आरोपी के अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)